



न्यायालय: सिविल जज(सी0डि0) जलेसर, एटा।
मूल वाद संख्या-06/2018
चेतराम सिंह इण्टर कालेज -----बनाम-----सुनील कुमार

31.08.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित है एवं प्रतिवादी उपस्थित है। वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध योजित किया गया था। आदेश पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली वास्ते 18ग2 के निस्तारण में नियत है। वादी अनुपस्थित हैं, वादी द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा न ही वादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह मूल वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

मूल वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी0डि0)
जलेसर, एटा।